न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **62/2014** दायर दिनाँक **28.03.2014**

वादी		**प्रतिवादीगण**
1. रामलाल पुत्र चुनाराम जाति जांगिड निवासी डीकावा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।	**बनाम्**	1. सरस्वती देवी पत्नी भंवरलाल जाति सोनी निवासी किसान छात्रावास के पास डीडवाना 2. तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत्
निरस्त करने शर्तिया बैचाण व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 188 R.T.Act.,

उपस्थितः–

1. श्री हीरसिंह बलारा वकील वादी।
2. श्री प्रवीण प्रभाकर वकील प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **21.04.2026**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि खेत खसरा संख्या 177 रकबा 21 बीघा वाके सरहद डिकावा स्थित है जिसकी वर्तमान में खातेदारी वादी रामलाल के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। वादी अपना ईलाज कराने के लिये प्रतिवादीया से तीन लाख छ हजार छ सो रूपये अवश्य लिये थे लेकिन उक्त जमीन के पेटे लिये गये रूपयों की अदायगी करने के लिये समय समय पर प्रयास किये लेकिन प्रतिवादीया बहाना बनाती रही और वादी को मुगालते में रखती रही और कहती रही की अभी आप अपने ईलाज के खर्च से टुटे हुए हों और मज़दुरी का भी कोई दुसरा जरिया नहीं है। इसलिये आपको दुसरो से रूपये उधार लेकर देने कि जरूरत नहीं है। इसके बावजुद वादी अपने गांव के अर्जुनराम व बीउमाश्रम को साथ लेकर व उक्त रकम लेकर प्रतिवादीया के पास उक्त राशि देने आज से करीब दो माह पूर्व भी गया था।लेकिन प्रतिवादीया ने रूपये लेने से मना कर दिया, और कहा कि मुझे जरूरत होगी तब अपने आप से लूगीं, तथा इससे पहले भी कई व्यक्तियों को साथ लेकर कई बार प्रतिवादीया को रूपये देने की कोशिश करता आया है। वादी को जानकारी हुई की प्रतिवादीया बाला बाला ही उक्त खेत का नामान्तरकरण अपने नाम से भरवाने की फिराक में है और राजस्व कर्मचारियों से मिली भगत कर रही है। तब वादी गांव के ही दो, तीन मौजिज व्यक्तियों को लेकर व उक्त राशि लेकर प्रतिवादीया के डीडवाना स्थित घर पर गया और उसने रूपये देने लगा तो प्रतिवादीया ने रूपये लेने से साफ मना कर दिया और उसने अपने घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया और कहा कि में तो यह खेत ही लेकर रहेंगी इस प्रकार की धमकी के कारण वादी के जायज अधिकार खतरे में पड़ गये और उसे अजहद नुकसान होने की संभावना बन गयी है। तथा गरीब व बिमार व्यक्ति का जीना दुभर हो गया है। क्यों कि वादी के पास इस खेत के अलावा अपने व अपने परिवार का पेट पालने का कोई दुसरा जरीया नहीं है। वादी के हितो पर खतरे के बादल छा गये है। जबकि वादी प्रतिवादीया की राशि देने को आज भी तैयार है। प्रतिवादीया ने वादी को रोकड़ी दो लाख रूपये ही दिये थे बाकि एक लाख छ हजार छ सौ रूपये ब्याज के जोड़ कर तीन लाख छ हजार छ सौ रूपये रोकडी देने का बेचाण नामा में उल्लेख किया था, लेकिन आज कल जमीनो के भाव बढ़ जाने के कारण प्रतिवादीया के मन में लालच आ गया है। और वह वादी की कब्जा काश्त व खातेदारी की भूमि को जबरन हड़पमा चाहती है। जिसका की उसको कोई हक अधिकार नहीं है। प्रतिवादीया ने उक्त खेत में काश्त करने के लिये खेत बादी को ही सोंप रखा था, क्योंकि प्रतिवादीया के वहाँ जाकर काश्त करने वाला कोई नहीं था, और वादी,

Vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

प्रतिवादीया को उक्त खेत में होने वाली फसल में से आधा हिस्सा दे देता था, इस प्रकार दोनो के बीच वर्षो तक धनिष्ठ संबंध चलते रहे। लेकिन अब प्रतिवादीया कि नियत में फर्क आ गया है।और यह वादी को उसकी खातेदारी व कब्जा काश्त के खेत की खातेदारी अपने नाम से करवाकर जबरन कब्जा करने की फिराक में है। जिसके कारण वादी के जायज अधिकार खतरे में पड़ गये है। यादी शर्तिया बेचाण दिनोंक 03.06.2009 को निरस्त करवाने व प्रतिवादीया के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का कानूनन अधिकारी है। अतः वादी को दाया बाबत निरस्त करने शर्तिया बेचाण व स्थाई निषेधाज्ञा का करना लाजमी आया है।

प्रार्थना वादी इस प्रकार है कि :–

वादी के पक्ष में प्रतिवादीया के खिलाफ इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि भविष्य में वह वादी की खातेदारी व कब्जा काश्त के खेत खसरा संख्या 177 रकबा 21 बीघा वाके डीकावा में किसी प्रकार का दखल न तो स्वयं करे न अन्य से करावें।

वादी द्वारा समय समय पर प्रतिवादीया को खेत गिरवी रखने के बतौर ली गयी राशि को बार बार अदा करने कि कोशिश करने के बावजुद प्रतिवादीया द्वारा नहीं लिये जाने के कारण प्रतिवादीया ने अपनी शर्तों का उल्लघंन किया है, अतः शर्तिया बेचाण दिनाँक 03.06.2009 निरस्त किया जावे। इस हेतु तनकी सिविल न्यायालय में भेजी जावे ताकि बेचाण निरस्त हो सके।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रवीण प्रभाकर ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 1 का जवाब पेश न होने पर जवाब बंद किया गया। शेष प्रतिवादीगण बावजूद सम्मन तामिली अनुपस्थित होने पर एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने वाद वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए शर्तिया बैचाण दिनांक 03.06.2009 निरस्त करवाने का निवेदन किया एवं अप्रार्थी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया।

विद्वान अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया एवं रेकर्ड का अवलोकन किया। वादी रजिस्टर्ड बैचाण दिनांक 03.06.2009 को निरस्त करवाने की इस्तदुआ रहा है। चुंकि बैचाणनामा निरस्त करने का सिविल न्यायालय का क्षैत्राधिकार बनता है। राजस्व न्यायालय द्वारा इस तरह के बैचाण को निरस्त नहीं किया जा सकता है। अतः वादी का वाद पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है।

–:आदेश :–

मौजा सरहद डीकावा के खेत खसरा संख्या 177 रकबा 21 बीघा की भूमि में शर्तिया बैचाण व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् वादी का वाद परिपोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।

(विकास [redacted] भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **21.04.2026** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना